रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# HRA Sazette of India

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1725]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2010/श्रावण 28, 1932

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2010/SHRAVANA 28, 1932

### गृह मंत्रालय

[स्वतन्त्रता सेनानी एवं पुनर्वास (एफ.एफ.आर.) प्रभाग]

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2010

का.आ. 2041(अ).—जैसाकि, केन्द्र सरकार ने, निष्क्रान्त सम्पत्तियों को प्रशासित करने की व्यवस्था के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिनियमों को अधिनियमित किया था, नामतः :—

- (i) निष्क्रान्त सम्पति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31);
- (ii) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 (1950 का 44);
- (iii) निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951का 64);
- (iv) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12); और
- (v) विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44)

और जैसा कि विस्थापित व्यक्ति दावे एवं अन्य कानून निरस्तीकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 38) को अधिनियमित करते हुए उपर्युक्त अधिनियमनों को निरस्त किया जा चुका है;

और जैसा कि विस्थापित व्यक्ति दावे एवं अन्य कानून निरस्तीकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 38) में कोई विशिष्ट व्यावृत्ति खंड नहीं है और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के प्रावधान लागू होते हैं;

और जैसा कि उपर्युक्त निरस्त किए गए अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत शितयों का प्रयोग करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों को शित्तयां प्रत्यायोजित करना आवश्यक हो गया है ताकि वे ऐसे निरस्तीकरण के बावजूद भी लिम्बत दावों का निपटान करने में सक्षम हो सकें।

अतः, अब, केन्द्र सरकार, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के, निम्नलिखित तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट, अधिकारियों को, सन्दर्भित तालिका के कॉलम (2) के अन्तर्गत की गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शक्तियों, का प्रयोग, उक्त तालिका के कॉलम (3) के अन्तर्गत की गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कानून के प्रावधानों के तहत करने के लिए नियुक्त करती है।

#### तालिका

क्र.सं.	नियुक्ति/प्रत्यायोजित शक्ति की प्रवृति	अधिनियम के वे प्रावधान जिनके अन्तर्गत शक्ति प्रत्यायोजित की गई	राज्य सरकार के अधिकारी का पदनाम जिन्हें शक्ति प्रत्यायोजित की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सक्षम अधिकारी	निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का 64) की धारा 4	वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली
2.	अपीलीय प्राधिकारी	निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का 64) की धारा 13	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली।
3.	सहायक महा अभिरक्षक	निष्क्रान्त संपति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का 31) की धारा 5	सहायक बन्दोबस्त आयुक्त (भूमि एवं भवन)
4.	सहायक अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पति	निष्क्रान्त संपति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का 31) की धारा 6	उप सचिव/सहायक आवास आयुक्त/सहायक बन्दोबस्त आयुक्त (भूमि एवं भवन)
5.	उप या सहायक अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति	निष्क्रान्त संपति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का 31) की धारा 6	उप सचिव/सहायक आवास आयुक्त/सहायक बन्दोबस्त आयुक्त (भूमि एवं भवन
6.	बन्दोबस्त आयुक्त	विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुर्नवास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3	अपर सचिव (भूमि एवं भवन)
7.	मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियां	विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं राहत) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 23, 24 और 28	अपर सचिव (भूमि एवं भवन)
8.	केन्द्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियां	विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुर्नवास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 33	प्रधान सचिव (भूमि एवं भवन)
9.	प्रबंध अधिकारी	विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुर्नवास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के प्रावधानों के अन्तर्गत	The state of the s

[फा. सं. 2/2/2009-आर. एण्ड एस.ओ.] ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

# [FREEDOM FIGHTER AND REHABILITATION (FFR) DIVISION]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2010

**S.O. 2041(E).**—Whereas, for the purpose of dealing with the administration of evacuee properties, the Central Government had enacted the following Acts, namely:—

- (i) The Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950);
- (ii) The Displaced Persons (Claims) Act, 1950 (44 of 1950);
- (iii) The Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951);
- (iv) The Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (12 of 1954); and
- (v) The Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).

And whereas the aforesaid enactments stand repealed by enacting the Displaced Persons Claims and other Laws Repeal Act, 2005 (38 of 2005);

And whereas, the Displaced Persons Claims and other Laws Repeal Act 2005 (38 of 2005) does not contain specific savings clause and thus the provisions of Section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897);

And whereas, it has become necessary to delegate powers to the officers of Government of the National Capital Territory of Delhi to exercise powers under various provisions of the aforesaid repealed Acts to enable them to dispose of pending claims, notwithstanding such repeal.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) the Central Government hereby appoints the officers of the National Capital Territory of Delhi specified in Column (4) of the Table below, to exercise such powers as specified in the corresponding entry under Column (2) of the said table, under the provisions of the law as specified in the corresponding entry under Column (3) thereof.

**TABLE** 

SI. No.	Nature of Appointment/ Power Delegated	Provisions of the Act under which power is delegated	Designation of officer of the State Government to whom powers are delegated
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Competent Officer	Section 4 of the Evacuee Interest (Separation) Act 1951 (64 of 1951)	Senior Civil Judge, Tis Hazari Court, Delhi
2.	Appellate Officer	Section 13 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64of 1951)	Additional District Judge, Tis Hazari Court, Delhi
3.	Assistant Custodian General	Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950)	Assistant Setttlement Commissioner, (Land and Building
4.	Additional Custodian of Evacuee Property	Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950)	Assistant Housing

5.	Deputy or Assistant Custodian of Evacuee Property		Deputy Secretary/ Assistant Housing Commissioner/ Assistant Settlement Commissioner, (Land and Building
6.	Settlement Commissioner	Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954. (44 of 1954)	Additional Secretary (Land and Building)
7.	Powers of Chief Settlement Commissioner	Section 23, 24 and 28 of the Displaced Persons (Compensation and Relief) Act, 1954. (44 of 1954)	Additional Secretary (Land and Building)
8.	Residuary powers of the Central Government	Section 33 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954. (44 of 1954)	Principal Secretary (Land and Building)
9.	Managing Officer	Under the provisions of Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954. (44 of 1954)	Deputy Secretary/ Assistant Housing Commissioner/ Assistant Settlement Commissioner (Land and Building).

[F. No. 2/2/2009-R & SO] A. K. GOYAL, Jt. Secy.